

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07102025-266717
SG-DL-E-07102025-266717असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]	दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2025/आश्विन 8, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 262
No. 298]	DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025/ASVINA 8, 1947	[N. C. T. D. No. 262

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIविधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 30 सितम्बर, 2025

फा0सं0 6/27/2025—न्यायिक/अधी0विधि/1831-1837.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद् द्वारा —

1. दिल्ली उच्चतर सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को उनके कार्याभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 25.08.2025 को हुई एफटीएससी रिक्ति के निमित्त दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नत/नियुक्त करते हैं—

1. श्री अनुज कुमार सिंह

तदर्थ आधार पर पदोन्नति से दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के कैंडिडेट में श्री अनुज कुमार सिंह को आमेलन या वरिष्ठता का कोई अधिकार नहीं मिलेगा और ऐसे फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के बंद होने की स्थिति में, अधिकारी दिल्ली न्यायिक सेवा के अपने मूल कैंडिडेट में वापस लौट जाएंगे

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
पुनीत नागपाल, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi , the 30th September, 2025

No.F.6/27/2025-Judl./Suptlaw/1831-1837.—The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi is pleased to:-

1. Promote/appoint on ad hoc basis, the following officer of Delhi Judicial Service to Delhi Higher Judicial Service against the FTSC vacancy, which arose on 25.08.2025, from the date he assumes charge of the office.

1. Mr. Anuj Kumar Singh

The promotion on ad-hoc basis shall not confer any right of absorption or seniority on Mr. Anuj Kumar Singh in the cadre of Delhi Higher Judicial Service and in case of discontinuation of such Fast-Track Special Courts, the officer shall revert back to his substantive Cadre of Delhi Judicial Service.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
PUNEET NAGPAL, Addl. Secy.